रिपोर्ट पटवारी व भू. अ. नि.

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्रानुसार, मजमे आम रिपोर्ट व शपथ व प्रमाणित कागजात (आधार कार्ड) के अनुसार रामुराम के स्थान रामनिवास किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

श्रीमान जी, प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज RI (पटवारी) हल्का युरपालिया की रिपोर्ट एवं संलग्न फर्द मजमे आम के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम रामनिवास है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रामुराम होने के कारण खाता 385 में श्रीराम पुत्र रामुराम के स्थान पर सही नाम श्रीराम पुत्र रामनिवास शुद्ध किए जाने की अभिशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.) डेह
जिला नागौर

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023"

आदेश

क्र० प्र० गांवों के संग/2023/38 दिनांक 01/05/23

प्रार्थी श्रीराम द्वारा प्रस्तुत धारा 136 में प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपने पिता का नाम शुद्ध हेतु आवेदन पत्र, फर्द मजमे आम, पटवारी हल्का युरपालिया, भू०अ० नि० युरपालिया व तहसीलदार डेह की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 के तहत युरपालिया के खाता में 385 में दर्ज श्रीराम पुत्र रामुराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र रामनिवास का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश आम मजमे आम में सुनाया गया। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरुस्ती किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner